


राजस्थान- सरकार  
राजस्व(गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(56)राज./ गुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 20-5-12



:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला झुन्झु की तहसील उदयपुरवाटी, नवलगढ एवं खेतडी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरी/ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र०सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी कि० मी० में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झुन्झु / उदयपुरवाटी	धमोरा	5589	1467.33	आदर्शनगर	2000	423.70	2.5	1043.63
2	झुन्झु / नवलगढ	टोडपुरा	4414	824.39	भगवानपुरा	1300	338.60	2.0	485.79
3	झुन्झु / नवलगढ	टोडपुरा	6214	1414.90	धींवा की ढाणी	1800	530.51	2.0	884.39
4	झुन्झु / नवलगढ	चौढाणी	2595	556.45	नया परसरामपुरा	1000	199.42	2.5	357.03
5	झुन्झु / खेतडी	नांगलिया/ गुजरवास	3449	1165.92	मेहाडा गुजरवास	1804	891.53	1.0	274.39
6	झुन्झु / खेतडी	कुरण्ड	904	442.37	धर्मदडा	500	78.41	3.0	363.96
7	झुन्झु / खेतडी	बबाई	9805	1322.69	श्री अशोकनगर	2950	570.45	2.0	752.24
3	झुन्झु / खेतडी	चिरानी	2622	1539.61	लंगरियावाला	762	531.95	4.0	1007.66

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त भूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, झुन्झु को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(अन्तर (सिंह))

शासन उप सचिव

k 2012